



**मूल वाद में अन्तिम डिक्री**  
**बमुकद में ईबतदाई**  
**(अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता)**

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- श्री जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 631/2024  
वाद पत्र अ. धारा 88/53 आरटीए

1. राज सिंह
2. भोला सिंह
3. इकबाल सिंह

पि. बलवीर सिंह जाति समस्त जटसिख  
निवासीगण शेरगढ तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ (राज.)

- वादीगण

**बनाम**

1. मक्खनसिंह पुत्र अनूपसिंह
2. जगतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह
3. जगेन्द्र सिंह पुत्र गुरतेज सिंह
4. महेन्द्र सिंह पुत्र गुरतेज सिंह
5. मेल कौर पत्नी जरनैल सिंह
6. गुरदेवसिंह
7. गुरबक्श सिंह
8. रतन सिंह
9. अवतार सिंह
10. गुरबचन कौर
11. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा नगराना
12. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

जाति समस्त जटसिख निवासीगण  
शेरगढ तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ (राज.)

पुत्र/पुत्री हीरादेवी पत्नी सोहन सिंह जाति समस्त अराई  
निवासीगण मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ  
(राज.)

- प्रतिवादीगण

**डिक्री**

दिनांक :- 23.4.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक वादीगण व मिन जामिन मुद्दई श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक डिक्री निम्नानुसार दी जाती है :-

चक 15 एमकेएस के खाता सं. 144/100 झाते का योग 4.554 हेक्.

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

1. इकबाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह राहिन पीएनबी शाखा नगराना जाति जट सिख निवासी शेरगढ प.न 168/239 मु.न. 44 का कि.न. 11/1/0.228, 11/2/0.025 गै.मु. खाला, 20/1/0.228. 20/2/0.025 गै.मु. खाला, 21/0.253 कुल-0.759 हेक्.

2. राज सिंह पुत्र बलवीर सिंह राहिन पीएनबी शाखा नगराना जाति जट सिख निवासी शेरगढ - प.न. 168/239 मु.न. 44 का कि.न. 18,19,22/0.759 कुल-0.759 हेक्.

3. भोला सिंह पुत्र बलवीर सिंह राहिन पीएनबी शाखा नगराना जाति जट सिख निवासी शेरगढ - प. न. 168/240 मु.न. 45 का कि.न. 2/0.253 कुल- 0.253 हेक्.

4. मेल कौर पत्नि जखनैल सिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ प.न. 168/240 मु. न. 45 का कि. न. 21/1/0.228, 21/2/0.025 गै.मु. खाला, 22/0.253, प. न. 168/241 मु.न. 50 का कि.न. 1/1/0.190, 1/2/0.025 गै.मु. खाला, 1/3/0.038 गै.मु. रास्ता, 2/1/0.215, 2/20.038 गै.मु. रास्ता, कुल- 1.012 हेक्.

5. जगतार सिंह, जगेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह पि. गुरतेज सिंह बहिब जाति जट सिख निवासी शेरगढ - प. न. 168/240 मु.न. 45 का कि.न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला, 9/0.253, 10/1/0.228, 10/2/0.025 गै.मु. खाला, 11/1/0.228, 11/2/0.025 गै.मु. खाला, 12.19/0.506. 20/1/0.228, 20/2/0.025 गै.मु. खाला कुल 1.771 हेक्.

चक 15 एमकेएस के खाता सं. 94/69 खाते का योग 0.506 हेक्.

1. भोला सिंह पुत्र बलवीर सिंह राहिन पीएनबी शाखा नगराना जाति जट सिख निवासी शेरगढ -प.नं. 168/240 मु.न. 45 का कि.न. 3.4/0.506 कुल 0.506 हेक्.

अतः उक्त वाद अपवादित खातों से सम्बन्धित है। पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2025/4414 दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्री दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।



निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

यह डिक्री बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.4.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कोशिक) एवं  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया